RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1868/2023

Iffco Tokio General Insurance Company Ltd., Iffco House, 3Rd Floor, 34 Nehru Palace, New Delhi, Jaipur Office At 2Nd Floor, Bhagwati Bhawan, Government Hostel Crossing, M.i. Road, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Manisha Kumari Alias Muskan D/o Sh. Shanti Lal, B/c Mali, R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist. Jodhpur.
2. Mumal @ Varsha D/o Sh. Shanti Lal, B/c Mali, R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist. Jodhpur.
3. Sagar Kumari @ Kareena D/o Sh. Shanti Lal, B/c Mali, R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist. Jodhpur.
4. Prarthna Kumari D/o Sh. Shanti Lal, (Now Major) B/c Mali, R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist. Jodhpur.
5. Antima Kumari D/o Sh. Shanti Lal, (Now Major) B/c Mali, R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist. Jodhpur.
6. Shanti Lal S/o Mangi Lal Mali, (Driver) R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist Jodhpur.
7. Suresh Kumar S/o Mangi Lal Mali, (Owner) R/o Village Dundara, Tehsil Luni, Dist Jodhpur.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Jagdish Chandra Vyas
For Respondent(s)	:	-

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

07/11/2023

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 7 को नोटिस जारी किए जाए।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी दो सप्ताह में दो प्रति में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 7 के नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर नोटिस सामान्य प्रक्रिया एवं रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.01.2024 तक वापसी योग्य जारी हो। साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस भी प्रत्यर्थीगण को जारी किए जाए।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से आगामी पेशी तक स्थगन आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई।

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में क्लेमेंटस् की ओर से जो कवर नोट नंबर 40588507 प्रस्तुत किया गया है, वह फर्जी कवर नोट पेश किया गया है, क्योंकि इस कवर नोट पर अपीलार्थी कम्पनी की ओर से बीमा पॉलिसी सीमा भाटी को दिनांक 15.01.2010 को दी गई है और फर्जी कवर नोट में दिनांक 15.11.2010 की तारीख दर्शाई गई है, जबकि वाहन मोटरसाईकिल स्पलैंडर हिरो होण्डा के इंजन नंबर 01546, चैसिस नंबर 02763 दर्शाए गए हैं, जो उनके वाहन आर.सी. प्रदर्श–15 के मुताबिक खरीद करने की दिनांक 23.12.2010 है, खरीद से पूर्व कवर नोट होना संभव नहीं है। इस आधार पर फर्जी कवर नोट के आधार पर किए गए क्लेम को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है, जिसकी सम्पूर्ण राशि की वसूली जरिये स्थगन आदेश रोके जाने का निवेदन किया।

अवलोकन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर किया गया। इस मामले में आगामी पेशी तक विद्वान् मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा, राजस्थान द्वारा एम.ए.सी.टी. मूल क्लेम संख्या 165/2011, मनीषा कुमारी व अन्य बनाम शांतिलाल व अन्य में पारित निर्णय व अवॉर्ड दिनांक 23.06.2023 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 08.01.2024 को सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

27-GauravG/-